श्री रामगोपाल शालवाले : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बीस वर्ष बाद भी इस देश में हरिजनों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है। यह जो नरबलि और पशुबलि होती है, निस्सन्देह यह अन्ध-विश्वास का परिणाम है। अभी कांग्रेस बेंचिज से यह पूछा गया कि कौन लोग ऐसा करते हैं। यह तो वही लोग करते हैं, जो अन्ध-विश्वासी हैं। इस अन्ध-विश्वास और भेदभाव के विरुद्ध सबसे पहले उन्नीसवीं शताब्दी में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आवाज उठाई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऋषि दयानन्द द्वारा स्थापित आर्य समाज को, जो इस प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध आन्दोलन करना चाहता है, आकाशवाणी द्वारा और सरकार के अन्य विभागों द्वारा सुविधा दी जायेगी।

SHRI Y. B. CHAVAN: This should be really addressed to the Minister of Information and Broadcasting. But certainly all those who want to create public opinion against it should get all facilities for it.

SHRI A. SREEDHARAN: Diabolical and ruthless suppression of Harijans has been going on in this country for some time. This is bound to happen in a country where ministers consult astrologers. This House has repeatedly brought to the notice of the Home Minister that this is a dangerous disease which requires drastic remedy, because in one State, one minister went to the extent of saying that Harijans should be kicked and they are rogues; and, he went scotfree. This leads us to the conclusion that there is an aggressive disease in this country, namely, caste Hindu revivalism, which has got to be combated. In view of this very dangerous background in this country, may I know whether the Government will bring in the necessary constitutional amendments and put it on the statute that when Central and State ministers are selected, 60 per cent of them should be selected from backward communities, minorities, scheduled castes and Harijans?

SHRI Y. B. CHAVAN: I do not think such a constitutional amendment is necessary or called for.

श्री रामावतार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा नहीं मानता कि हरिजनों के साथ विद्वेष की भावना या छुआछूत की भावना बढ़ रही है, अपितु इन वर्षों में पर्याप्त परिस्थिति में सुधार हुआ है। घटनाएं यह पहले भी होती रही हैं, अब वह समाचार पत्रों में आ जाती हैं, इतना अन्तर है। इसके अतिरिक्त राजनैतिक दल सहानुभूति प्राप्त करने में एक-दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिये भी बहुत ज्यादा इस बात का शोर मचाया जाता है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से गांधी जी इनमें कार्य करने के लिये कोई रचनात्मक कार्यक्रम रखते थे, क्या सरकार भी नये सिरे से कोई इस प्रकार का रचनात्मक कार्यक्रम जिससे छुआछूत दूर हो, अपनाने का प्रयत्न करेगी?

SHRI Y. B. CHAVAN: I have already said that government have to create public opinion in this matter. Public opinion can be created only with the help of social workers and through constructive programmes. So, through our social welfare departments etc. we are certainly encouraging constructive programmes in this matter.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इन्द्रप्रस्थ भवन में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों की शिकायतें

*272. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 को इन्द्रप्रस्थ भवन (नई दिल्ली) के अन्दर जब पुलिस द्वारा लाठी चलाई गई, क्या तब उस भवन में स्थित कार्यालयों के कुछ कर्मचारियों की कलाई घड़ियां, अंगूठियां आदि खो जाने और कुछ महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). प्रेस में और अन्यत्र ये आरोप लगाये गये थे कि 19 सितम्बर, 1968 को इन्द्रप्रस्थ एस्टेट की 'बी' बिल्डिंग में घटनाओं के दौरान कुछ कर्मचारियों की निजी वस्तुएं खो गई थीं और कुछ महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। डिप्टी कमिश्नर ने इन मामलों की जांच की है और सूचित किया है कि यद्यपि पुलिस कर्मचारियों द्वारा निजी वस्तुएं छीनी जाने के बारे में कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किन्तु इसकी भी सम्भावना नहीं है कि ऐसी कुछ घटनाएं नहीं हुई हों। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि कुछ महिला कर्मचारियों को गालियां दी गई और उनमें से एक या दो को लाठी द्वारा धकेला गया। चूंकि कर्मचारियों द्वारा पुलिस कर्मचारियों को, जिन्होंने दुर्व्यवहार किया था, पहचानना सम्भव नहीं था, जांच के लिये कोई अपराधिक मामले दर्ज नहीं किये जा सके। फिर भी सरकार डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट को यह देखने के लिये जांच कर रही है कि क्या प्राशसनिक कार्यवाही की जा सकती है।

INQUIRY INTO CHHOTI SADRI GOLD SCANDAL

*275. SHRI YASHPAL SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the inquiry into the Chhoti Sadri Gold Scandal has since been completed and the report of inquiry has been received by the Central Government;

(b) if so, the details of the report; and

(c) the action taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

RENT DUES FOR PROPERTIES IN CHANDIGARH

*276. SHRI HARDAYAL DEVGUN: SHRI YAJNA DATT SHARMA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the States of Punjab and Haryana have refused to pay rent for the properties in their occupation in the Union Territory of Chandigarh;

(b) if so, the reasons for non-payment of the rent;

(c) the total amount of rent outstanding against the two States; and

(d) the steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (d). A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

At one stage the Governments of Punjab and Haryana did take the stand that they should be allowed the use of the properties at Chandigarh free of rent. It was explained to them that under the Punjab Reorganisation Act the debt liability of the composite State had devolved on the Union in proportion to the capital outlay of that State in the area comprised in Chandigarh and that the Central Government had to incur expenditure on maintenance of the buildings. In view of this, they were requested to pay rent for the buildings occupied by them. However except for recoveries effected at 10% of emoluments from their employees in occupation of residences, so far they have not paid any rent and have questioned the very basis on which the rent has been assessed. According to the present assessment, rent amounting to Rs. 1,20,78,474 and Rs. 77,85,185 is recoverable from the Government of Punjab and Haryana respectively, for the period 1st November(1966 to 31st